IS 15700:2005

संवोत्तम प्रमाणित

# उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
## अभियंत्रण अनुभाग
104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

संख्या / SE(HQ)/A-78 दिनांक

## कार्यालय आदेश

अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त, लखनऊ के पत्रांक–01/एस0ई0(एच0क्यू0)/कैम्प ए0एस0जी0 दिनांक 27.01.2016 द्वारा अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–2बी में भागीरथी इन्कलैव के निर्माण कार्य हेतु बेसमेन्ट+स्टिलट+14 फ्लोर तक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव/प्राक्कलन प्रेषित किया गया है।

अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–2बी में भागीरथी इन्कलैव के अन्तर्गत 728 नग फ्लैट्स एवं 52 नग पेन्ट हाउस के निर्माण कार्य हेतु (बेसमेन्ट+स्टिलट+16 फ्लोर तक) यू0पी0पी0डब्लू0डी0 के प्लिंथ एरिया रेट–2011 के आधार पर मुख्यालय के कार्यालय आदेश सं0–1529/एस0ई0(एच0क्यू0)/ए–78 दिनांक 25.04.2013 द्वारा रू0 29201.42 लाख तथा आदेश सं0–4730/एस0ई0(एच0क्यू0)/ए–110 दिनांक 12.12.2013 द्वारा रू0 2129.66 लाख कुल रू0 31331.08 की प्रशासनीक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण टावरों की ऊँचाई 49.00 मी0 तक अनुमन्य किये जाने के कारण टावरों का निर्माण बेसमेन्ट+स्टिल्ट+14 फ्लोर तक ही कराया जा रहा है। तद्नुसार 12 टावरों के अन्तर्गत 728 नग फ्लैट्स के निर्माण हेतु (52 नग पेन्ट हाउस को छोड़कर) बेसमेन्ट+स्टिल्ट+14 फ्लोर तक के कार्य की तकनीकी स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्लिन्थ एरिया दरों पर प्रेषित किया गया है। उक्त स्वीकृति में 728 नग फ्लैट्स के निर्माण हेतु (52 नग पेन्ट हाउस की लागत को छोड़कर रू0 28799.45 लाख की धनराशि का प्राविधानित है। वर्तमान में खण्ड स्तर पर सम्बन्धित आर्कीटेक्ट द्वारा वाह्य विकास कार्यों आदि की ड्राइंग्स उपलब्ध न कराये जाने के कारण प्रस्तुत प्रस्ताव में वाह्य विकास कार्यों की लागत (फेस्लटी व बाउन्ड्रीवाल सहित) की लागत को सम्मिलित नहीं किया गया है।

अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त, लखनऊ द्वारा मुख्य अभियन्ता के पत्रांक–3401/तकनीकी स्वी0/2015 दिनांक 14.08.2015 व बहुमंजिले भवनों की तकनीकी स्वीकृति से सम्बन्धित दिनांक 23.11.2015 को सम्पन्न हुई बैठक के जारी कार्यवृत्त के परिदृष्य में बेसमेन्ट+स्टिल्ट+14 फ्लोर तक की तकनीकी स्वीकृति का प्रस्ताव निम्नानुसार प्रेषित किया गया है :–

1– **स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं उसका वेट**

बहुमंजिले फ्लैटस के दृष्टिगत परियोजना की स्ट्रक्चरल डिजाइन कराने एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से अनुमोदन कराने का प्राविधान निविदा की शर्तो में सम्मिलित था, तद्नुसार स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स डा0 मलोय के0सिंघा,एसोसिएट प्रोफेसर,डिपार्टमेन्ट आफ एप्लाइड मेकेनिक्स, आई0आई0टी0 दिल्ली द्वारा वैट की गयी है।

2– **विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र**

उक्त फ्लैट्स के निर्माण हेतु अग्निशमन विभाग के पत्र सं0–एफ0एस0–1098/2014/(100) दिनांक 29.05.2014 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्राक्कलन में संलग्न है तथा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के पत्र सं0–ए.ए.आई./एन.ओ.सी./2014/49/ 4700–04 दिनांक 20.02.2014 द्वारा टॉवरों की ऊँचाई 49.00 मी0 अनुमन्य की गयी है, जिसकी छायाप्रति भी प्राक्कलन में संलग्न की गयी है। पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु खण्ड के पत्रांक–1842/वाई–4/49 दिनांक 15.12.2015 द्वारा सम्बन्धित विभाग को प्रपत्र प्रेषित किये जा चुके हैं, जिसका अनापत्ति प्रमाण पत्र अभी अपेक्षित है। पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा।

3– **वाटर प्रूफिंग**

उक्त कार्य में बहुमंजिले भवनों हेतु बेसमेन्ट में वाटर प्रूफिंग का कार्य क्रिस्टलाइजेशन पद्धति से कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

Altc-1



All AEs/JE(T)/AAO

4— दीमक रोधी प्राविधान

प्रस्तुत प्राक्कलन में दीमक रोधी उपचार का कार्य भी सम्मिलित है जिसकी विशिष्टियॉ मुख्य अभियन्ता के आदेश 2817/सी.ई.कैम्प दिनांक 08.07.2015 के कम में आई.एस. कोड—6313 (पार्ट—2—2013) के अनुसार ली गई हैं।

5— भूकम्परोधी प्राविधान

निर्माण स्थल लखनऊ (भूकम्प जोन—तृतीय) में स्थित है। स्ट्रक्चरल डिजाइन में आई.एस.—1893(पार्ट—1)2002 के अनुसार जेड फैक्टर 0.16तथा Importance Factor 1.0 लिया गया है। स्ट्रक्चरल डिजाईन हेतु विभिन्न आई.एस.कोड यथा—आई.एस.—456 : 2000,आई.एस.—875 : 1987(पार्ट—1—3),आई.एस.—1904 : 1986 आई.एस.—1893 : 2002,आई.एस.—4326 : 1993, आई.एस.—13920 : 1993,आई.एस.—1343,बी.एस.—8110 :1997,ए.सी.आई.—318,सी.पी.—65, आई.एस.—800 : 1984 आदि का प्रयोग किया गया है।

6— विन्ड सम्बन्धी प्राविधान

विन्ड सम्बन्धी प्राविधान आई.एस.—875: पार्ट—3 के अनुसार डिजाइन विन्ड स्पीड 47.00 मी0 प्रति सेकेन्ड ली गई है। विन्ड प्रेशर PZ 1.60 KN/M² लिया गया है। स्टील की डिटेलिंग हेतु आई.एस. कोड—13920 : 1993 का उपयोग किया गया है।

7— मृदा परीक्षण

मृदा परीक्षण अनुबन्धित फर्म द्वारा मैसर्स अरुण स्वायल लैब प्रा0 लि0 द्वारा कराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 4.00 मी0 गहराई पर सेफ बियरिंग कैप्सिटी 16.00 T/M² प्राप्त हुई है तथा एन0 वैल्यू 9.00 है। स्थल पर भू—जल स्तर 4.30—5.60 मी0 गहराई पर है। मृदा परीक्षण रिपोर्ट प्राक्कलन में संलग्न की गई है।

8— कार्य की प्रगति

उक्त परियोजना के अन्तर्गत स्वीकृत 728 नग भवनों के विरूद्ध सभी भवनों का कार्य कराया जा रहा है, जिसके बेसमेन्ट, स्टिल्ट व सुपर स्ट्रक्चर की 672 भवनों की स्लैब डाली जा चुकी है एवं भवनों के सुपर स्ट्रक्चर में फिनिशिंग का कार्य प्रगति में है, जिसके सापेक्ष परियोजना पर रू0 16594.00 लाख व्यय किया जा चुका है।

9— उक्त बहुमंजिले भवनों में खुदाई से प्राप्त मिट्टी को योजना के स्वीकृत अर्थ बैलेन्सिंग प्लान के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में योजना के सेक्टर—1 में निर्माणाधीन अवध शिल्प ग्राम एवं सेक्टर—2ए के क्षेत्र में भराई गई है।

10— बहुमंजिले भवनों के निर्माण से सम्बन्धित अर्थवर्क के कार्य आर.सी.सी. के कार्य में प्रयुक्त होने वाली स्टील के कार्य तथा अन्य हिडन मदों के कार्य की मापें हेतु मुख्यालय से पत्र संख्या—307/मु0अभि0/कैम्प दिनांक 24.11.2015 के माध्यम से निर्देश जारी हैं। तद्नुसार ही कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

मुख्यालय द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में भूकम्परोधी भवनों हेतु रू0 830.00 प्रति वर्गमी0 का अतिरिक्त प्राविधान है जोकि अर्थक्वेक जोन—4/5 में पड़ने वाले कार्यस्थल हेतु आवश्यक है, किन्तु प्रश्नगत कार्यस्थल लखनऊ शहर में पड़ता है, जोकि अर्थक्वेक जोन—3 के अन्तर्गत आता है। अंतः स्पष्ट है कि भूकम्परोधी के अतिरिक्त प्राविधान की आवश्यकता नहीं है। उक्त तथ्य के सापेक्ष अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त/अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड—07, लखनऊ द्वारा भूकम्परोध भवनों हेतु रू0 830.00 प्रति वर्गमी0 के प्राविधान को पृथक करते हुए गणनायें पुनरीक्षित की गयी हैं, जिसके आधार पर परियोजना की लागत कुल रू0 31331.08 लाख की धनराशि के स्थान पर रू0 29671.08 लाख तक ही सीमित रहेगी, जिसमें 52 नग पेन्ट हाउस एवं वाहय विकास कार्यों की लागत को घटाने के उपरान्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति में 728 नग भवनों की तकनीकी स्वीकृति में प्रस्तावित कार्य हेतु रू0 25934.37 लाख की धनराशि प्राविधानित है, जिसके सापेक्ष प्रस्तुत प्राक्कलन के अनुसार प्लिन्थ एरिया दरों के आधार पर प्रस्तावित बेसमेन्ट+स्टिल्ट+14 फ्लोर तक के कार्य (वाहय विकास कार्य आदि छोड़कर) की निर्माण लागत 6.50 प्रतिशत कन्टीजेन्सी, 1.00 प्रतिशत लेबर सेस एवं 4.944 प्रतिशत सर्विस टैक्स सहित कुल रू0 25927.00 लाख की तकनीकी स्वीकृति का प्रस्ताव विचारणीय होगा।

7— कार्यो का सम्पादन मुख्य अभियन्ता/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित विशिष्टियों/प्राविधानों के अनुसार कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में यदि विशिष्टियों/प्राविधानों में परिवर्तन की आवश्यकता हो तो उसका अनुमोदन कार्य कराने से पूर्व सक्षम अधिकारी से अवश्य प्राप्त किया जाये।

8— विस्तृत प्राक्कलन में ली गई दरों एवं विभिन्न मदों की दरों एवं मात्राओं के लिए औचित्य का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता का होगा ।

9— तकनीकी स्वीकृति से अधिक धनराशि किसी भी दशा में व्यय नही की जायेगी।

10— कार्य निर्गत प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्रतिबन्ध के अनुसार कराया जाय।

11— कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण प्रयोग करने से पूर्व अवश्य करा लिया जाय।

(आर0के0अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता

पृ0सं0: 439/ए–3/ दिनांक 29.1.2016

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1— वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय लखनऊ।

2— अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0)/मुख्यालयवृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

3— अधिशासी अभियन्ता(मु0)/निर्माण खण्ड–07, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।

4— गार्ड फाईल।

मुख्य अभियन्ता

अतः उपरोक्तानुसार अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–2बी में भागीरथी इन्क्लेव के अन्तर्गत 12 नग टावरों में कुल 728 नग विभिन्न प्रकार के फ्लैटस् के निर्माण कार्य हेतु (वाह्य विकास कार्य आदि छोड़कर) कुल **रू0 25927.00 लाख** की धनराशि हेतु तकनीकी स्वीकृति विचारणीय है। अस्तु अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त, लखनऊ के पत्रांक–01/एच0क्यू0/कैम्प ए0एस0जी0 दिनांक 27.01.2016 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव एवं संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित कार्य हेतु तकनीकी स्वीकृति निम्न प्रतिबन्ध/शर्तों के साथ प्रदान की जाती है:–

| | |
|---|---|
| 1–कार्य का विवरण | अवध विहार योजना, लखनऊ के सेक्टर–2बी में भागीरथी इन्क्लेव के अन्तर्गत 728 नग विभिन्न प्रकार के फ्लैटस् एवं 52 नग पेन्ट हाउस का निर्माण कार्य। |
| 2–आई0डी0कोड सं0 | 095046 एवं 095064 |
| 3–अ–प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का संदर्भ | अभि0अनु0 के कार्यालय आदेश सं0–1529/ एस.ई.(एच.क्यू.)/ए–78 दि0 25.04.2013 द्वारा रू0 29201.42 लाख अभि0 अनु0 के कार्यालय आदेश संख्या–4730/ एस0ई0 (एच0क्यू0)/ए–110 दि0 12.12.2013 द्वारा रू0 2129.66 लाख |
| ब–कार्य की लागत | रू0 31331.08 लाख |
| स–प्रस्तावित 728 नग भवनों हेतु समानुपातिक प्राविधानित लागत (वाह्य विकास कार्य छोड़कर ) | रू0 25934.37 लाख |
| 4– प्रस्तावित तकनीकी स्वीकृति की लागत 728 नग फ्लैटस् हेतु (वाह्य विकास कार्य छोड़कर) | रू0 25927.00 लाख |
| 7–लेखा शीर्षक एवं वित्त संख्या | 29/46 एवं 29/64 |

**प्रतिबन्ध/शर्तें**

1– बहुमंजिली भवनों की स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स डा0 मलोय के0 सिंघा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेन्ट आफ एप्लाइड मेकेनिक्स, आई0आई0टी0, दिल्ली द्वारा वेटेड की गयी है। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व स्ट्रक्चरल में आई0एस0 कोड–13920 : 1993 एवं सुसंगत कोड के अनुसार भूकम्परोधी प्राविधान सुनिश्चित कर लिये जायें।

2– उक्त बहुमंजिले भवनों के बेसमेन्ट में वाटर प्रूफिंग कार्य मुख्यालय द्वारा जारी आदेश सं0–153/मु0अ0अभि0 कैम्प दिनांक 09.06.2015 में निहित प्राविधान व मुख्यालय के पत्र सं0–4522/एम–75 दिनांक 19.11.2015 के अनुसार बेसमेन्ट में उ0 प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा अनुमोदित विशिष्टियों के अनुसार उच्च गुणवत्ता के साथ कराया जाय।

3– दीमक रोधी उपचार सम्बन्धी कार्य मुख्य अभियन्ता के आदेश सं0–2817/सी.ई.कैम्प दिनांक 08.07.2015 के क्रम में आई.एस. कोड–6313 (पार्ट–2–2013) के प्राविधानों के अनुसार कराया जाय।

4– निर्माण स्थल लखनऊ (भूकम्प जोन–तृतीय) में स्थित है। स्ट्रक्चरल डिजाइन में आई.एस.–1893(पार्ट–1)2002 के अनुसार जेड फैक्टर 0.16तथा Importance Factor 1.0 लिया गया है। स्ट्रक्चरल डिजाइन विभिन्न आई.एस.कोड यथा–आई.एस.–456 : 2000,आई.एस.–875 : 1987(पार्ट–1–3), आई.एस.–1904 : 1986 आई.एस.–1893 : 2002,आई.एस.–4326 : 1993,आई.एस.–13920 : 1993,आई.एस.–1343,बी.एस.–8110 :1997,ए.सी.आई.–318,सी.पी.–65, आई.एस.–800 : 1984 आदि में निहित प्राविधानों के अनुसार होगी।

5– उक्त बहुमंजिले भवनों में खुदाई से प्राप्त मिट्टी को योजना के स्वीकृत अर्थ बैलेन्सिंग प्लान के अनुसार अधीक्षण अभियन्ता, मुख्यालय वृत्त, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में योजना के सेक्टर–1 में निर्माणाधीन अवध शिल्प ग्राम एवं सेक्टर–2ए के क्षेत्र में भराई जायेगी।

6– बहुमंजिले भवनों के निर्माण से सम्बन्धित अर्थवर्क के कार्य, आर.सी.सी. के कार्य में प्रयुक्त होने वाली स्टील के कार्य तथा अन्य हिडेन मदों के कार्य की मापें मुख्यालय से पत्र संख्या–307/मु0अभि0/कैम्प दिनांक 24.11.2015 के निर्देश के क्रम में मॉप पुस्तिका में अनिवार्य रूप से अंकित की जायेंगी एवं नियमानुसार सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता स्तर से सत्यापन के उपरान्त ही कार्य का भुगतान किया जायेगा।